पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 अक्टूबर, 2021 ई0 (आश्विन 17, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–41

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	505–509	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	735–736	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	301–326	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2

विज्ञप्ति

19 अगस्त, 2021 ई0

संख्या 869/2021–XIX-2/18 खाद्य/2010 टी0सी0–अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या–191(1)/2019–FCA/Ce दिनांक 18.05.2020 तथा निदेशक (एफसी लेखा डिवीजन), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या–191(1)/2019–FCA/Ce दिनांक 24.02.2020 के क्रम में गठित राज्य स्तरीय समिति (State Level Committee) द्वारा प्रस्तावित भण्डारण गोदामों पर हैण्डलिंग की दर ₹ 10.56 प्रति कुन्तल वित्तीय वर्ष 2021–22 से आगामी 03 वर्षों के लिये स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– यह दरें दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी होंगी।

आज्ञा से,

भूपाल सिंह मनराल,

सचिव।

पशुपालन अनुभाग–3 (मत्स्य)

कार्यालय–ज्ञाप

09 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 696/XV-3/2021-07(19)2016–मत्स्य विभागान्तर्गत उप निदेशक, मत्स्य (वेतनमान लेवल–11, रू0 67700–208700) के 01 रिक्त पद पर चयन हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर श्री अनिल कुमार, सहायक निदेशक, मत्स्य को नियमित चयनोपरान्त उप निदेशक, मत्स्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से उप निदेशक, मत्स्य के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– श्री अनिल कुमार के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

3– सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार को उप निदेशक के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

4– उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1079/2013 (एस0/एस0) श्री अनिल कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगें।

5– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,

सचिव।

श्रम अनुभाग

विज्ञप्ति/त्याग–पत्र

10 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 1200/VIII-1/21–02(E.S.I)/2006–TC-I–डॉ0 विपिन कुमार, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के त्याग पत्र स्वीकृति संबंधी प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.06.2020 जो कि नियुक्ति प्राधिकारी को दिनांक 22.06.2020 को प्राप्त हुआ है, पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली, 2003 के नियम–5 के अधीन शासन में नियुक्ति प्राधिकारी को प्राप्ति की तिथि से तीन माह के बाद (Notice Period) की तिथि अर्थात दिनांक 22.09.2020 से त्याग–पत्र को स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा डॉ0 विपिन कुमार, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के त्याग पत्र की स्वीकृति की प्रभावी तिथि से पूर्व अवधि तक कार्य न करने की अवधि का वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा।

विज्ञप्ति/त्याग–पत्र

10 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 1201/VIII-1/21–02(E.S.I)/2006–TC-I–निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा पत्र संख्या–1204/पीएफ/कराबीयो/2017–18, दिनांक 14.06.2017 के माध्यम से शासन को प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में डॉ0 वैभव कुमार, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, लक्सर के त्याग पत्र स्वीकृति संबंधी प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.04.2017 पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली, 2003 के नियम–5 के अधीन शासन में नियुक्ति प्राधिकारी को प्राप्ति की तिथि से तीन माह के बाद (Notice Period) की तिथि अर्थात दिनांक 14.09.2017 से त्याग–पत्र को स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा डॉ0 वैभव कुमार, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, लक्सर के त्याग पत्र की स्वीकृति की प्रभावी तिथि से पूर्व अवधि तक कार्य न करने की अवधि का वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा।

विज्ञप्ति/त्याग–पत्र

10 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 1202/VIII-1/21–02(E.S.I)/2006–TC-I–निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा पत्र संख्या–6636/पीएफ/कराबीयो/2016–17, दिनांक 06.01.2017 के माध्यम से शासन को प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में डॉ0 वंदना सोनाल, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, हरिद्वार के त्याग पत्र संबंधी प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.12.2016 पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली, 2003 के नियम–5 के अधीन शासन में नियुक्ति प्राधिकारी को प्राप्ति की तिथि से तीन माह के बाद (Notice Period) की तिथि अर्थात दिनांक 06.04.2017 से त्याग–पत्र को स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा डॉ0 वंदना सोनाल, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, हरिद्वार के त्याग पत्र की स्वीकृति की प्रभावी तिथि से पूर्व अवधि तक कार्य न करने की अवधि का वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा।

अधिसूचना

10 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 1203/VIII-1/21–70(श्रम)/2001–II–महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 4440/UHC/XIII-f-1/Admin.A/2010, दिनांक 09.09.2021 के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम–1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्याः 28 वर्ष, 1947) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन श्रमिकों के विवादों के निस्तारण करने हेतु उत्तर प्रदेश, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिकारी (नियुक्ति और नियोजन की शर्तें) नियमावली–1996 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–89 के द्वारा उत्तराखण्ड में दावों का निस्तारण करने हेतु श्री आशीष नैथानी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चम्पावत को पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय हरिद्वार के रूप में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्रचलित सामान्य शर्तों के अधीन नियुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डा0 हरबंस सिंह चुघ,
सचिव।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

कार्यालय ज्ञाप

16 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 189/09/DPC/अनुसचिव/अधि0/2020-21– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग कार्यालय में अनुभाग अधिकारी से अनुसचिव पद पर पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 16 सितम्बर, 2021 की संस्तुति एवं मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में श्री सुनील कुमार मिश्र, अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव के पद पर लेवल–11 (वेतनमान रू0 67,700/– से रू0 2,08,700/–) में 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखते हुए प्रस्तर–2, 3 एवं 4 के अधीन नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2– श्री सुनील कुमार मिश्र के विरूद्ध मा0 विशेष न्यायालय सतर्कता, देहरादून में वाद संख्या–4/14 मु0अ0स0 3/14 धारा 8/13 सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित है। श्री सुनील कुमार मिश्र के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही को मा0 विशेष न्यायालय में लम्बित वाद के अधीन स्थगित रखा गया है। अतः प्रश्नगत पदोन्नति उपरोक्त वाद में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन की जाती है।

3– कार्यालय आदेश संख्या–439/मा0अ0का0/2014–15, दिनांक 16.12.2014 द्वारा प्रदान किये गये दण्ड के विरूद्ध श्री सुनील कुमार मिश्र द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 376/2016 (S/B) सुनील कुमार मिश्र बनाम महामहिम राज्यपाल योजित की गयी है, जो आतिथि मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। अतः प्रश्नगत पदोन्नति रिट याचिका संख्या 376/2016/(S/B) सुनील कुमार मिश्र बनाम महामहिम राज्यपाल में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन की जाती है।

4— उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग कार्यालय में अनुभाग अधिकारी से अनुसचिव के पद पर पदोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 05.04.2018 की संस्तुति एवं इस संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 21/21/अनुसचिव/डी.पी.सी/अधि./2015—16, दिनांक 09.04.2018 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट याचिका संख्या 164 ऑफ 2018 (S/B) सुनील कुमार मिश्र बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व अन्य योजित की गई है, जो आतिथि मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। प्रश्नगत पदोन्नति रिट याचिका संख्या 164 ऑफ 2018 (S/B) सुनील कुमार मिश्र बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन की जाती है।

श्री सुनील कुमार मिश्र अग्रिम आदेशों तक वर्तमान कार्य—दायित्वों का निर्वहन यथावत करते रहेंगे। उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

कर्मेन्द्र सिंह,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 41 हिन्दी गजट/411—भाग—1—2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 अक्टूबर, 2021 ई0 (आश्विन 17, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

17th August, 2021

No. 874/III-A-08/2021/SLSA---Sri Sandip Kumar Tiwari, Secretary, District Legal Services Authority, Pauri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for a period of 37 days w.e.f. 03.07.2021 to 08.08.2021.

By Order of Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

R.K. KHULBEY,

Member Secretary,

Uttarakhand State Legal Services

Authority, Nainital.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

September 01, 2021

No. 317/XIV/a-31/Admin.A/2019–Shri Ashwani Gaur, Additional District & Sessions Judge, Fast Track Special Court-POCSO Act, Dehradun is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 04.08.2021 to 18.08.2021, in terms of G.O. No. 819/xxxvii(7)34/2010-11 dated 31.12.2013.

NOTIFICATION

September 01, 2021

No. 318/XIV-4/Admin.A/2008--Ms. Pratibha Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned maternity leave for 180 days *w.e.f.* 12.02.2021 to 10.08.2021 , in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume II (Parts 2-4) and Office Memo No. 250/XXVII(7)/2009 dated 24/08/2009, issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

September 01, 2021

No. 319/XIV/a-53/Admin.A/2020--Sri Rohit Kumar Pandey, the then Civil Judge (Jr. Div.), District Pithoragarh presently, posted as Civil Judge (Jr. Div.), Ukhimath, District Rudraprayag is hereby sanctioned medical leave for 22 days *w.e.f.* 14.05.2021 to 04.06.2021.

NOTIFICATION

September 06, 2021

No. 323/XIV-a-36/Admin.A/2018--Ms. Tanuja Kashyap, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned:-

1.	Maternity leave for 180 days w.e.f. 01.12.2020 to 29.05.2021, in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume II (Parts 2-4) and Office Memo No. 250/XXVII(7)/2009 dated 24/08/2009, issued by Government of Uttarakhand.
2.	Child care leave for 90 days w.e.f. 30.05.2021 to 27.08.2021, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

September 06, 2021

No. 324 UHC/XIV/19/Admin.A/2008--Ms. Geeta Chauhan, Additional District & Sessions Judge, Kamprayag, District Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 24 days *w.e.f.* 02.08.2021 to 25.08.2021 with permission to prefix 01.08.2021 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 41 हिन्दी गजट/411–भाग–1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 अक्टूबर, 2021 ई0 (आश्विन 17, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद टिहरी

ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन–2016 के अनुसार प्रस्तावित उपविधि

19 जुलाई, 2019 ई0

पत्रांक–342/ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन/2019–20–नगरपालिका अधिनियम 1916 (अनुकूल एवं रूपान्तरण आदेश–2002) अनुकूल एवं रूपान्तरण आदेश–2007 की धारा 298 "झ" एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29)/166 की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15(ङ), 15(च) एवं 15 (यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगरपालिका परिषद के अधिवेशन/बोर्ड बैठक दिनांक 16/06/2019 के प्रस्ताव सं0–12 के माध्यम से सदन के सम्मुख रखा गया। नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिस पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ। जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव प्रकाशन तिथि के एक माह अन्दर नगरपालिका परिषद टिहरी के कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि–2019

अध्याय–1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :
   (1) ये **उप–नियम नगरपालिका परिषद टिहरी ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप–नियम, 2019** कहलाएंगे।
   (2) ये उप–नियम नगरपालिका परिषद टिहरी के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
   (3) नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि 2009, गजटनोटिफिकेशन 16 जुलाई 2010 द्वारा प्राख्यापित उपविधि नगरपालिका परिषद टिहरी ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप–नियम, 2019 लागू होने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. ये उप–नियम नगरपालिका परिषद, टिहरी की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।
3. परिभाषाएं
   (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नाकित परिभाषाएं लागू हैं:–
   (क) **"बल्क उद्यान और बागवान कचरा"** का अर्थ हैं, उद्यानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास, कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामाग्री जैसे पेडों की छटाई से

उत्पन्न कचरा, पेडों की कटिंग, टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं।

(ख) **"बल्क कचरा उत्सर्जन** का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम,2016 (जिसे बाद में यहाँ एस. डब्ल्यू.एम नियम कहलऐगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्व निकाय के अधिशासी अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) **"संग्रह"** का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुंचाना;

(घ) **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ हैं नगरपालिका परिषद टिहरी का अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी।

(ड) **"निर्माण एवं विध्वंस कचरा"** का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) **"स्वच्छ क्षेत्र"** का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख–रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना हैं।

(छ) **"सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)"** का अर्थ है, नगरपालिका परिषद द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिलकर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कंचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) **"कंटेनराइज्ड हैड कार्ट"** का अर्थ है, ठोस कंचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगरपालिका परिषद या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) **"सुपुर्दगी"** का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कंचरे को नगरपालिका परिषद टिहरी के वर्कर या ऐसे कंचरे की सुपुर्दगी के लिए नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगरपालिका परिषद टिहरी या नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) **"ई–कचरा"** का अर्थ वही होगा, जो ई–कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) **"फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)** का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैक्ट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है;

(ठ) **"कूडा–कचरा"** का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेंकना अथवा संग्रह करना इन उप–नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव–जन्तु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो।

(ड) **"गंदगी फैलाने"** का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुलकर, रिसकर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बहकर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) **"स्वामी"** का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;

(ण) **"अधिभोगी/पट्टेदार"** का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(प) **"पैलेटाइजेशन"** का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं।

(फ) **"निर्धारित"** का अर्थ है, एस.डब्यूएम. नियमों और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) **"सार्वजनिक स्थल"** का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नहीं;

(भ) **" संग्रहण"** का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) **"सैनेटरी वर्कर"** का अर्थ है, नगरपालिका परिषद टिहरी के क्षेत्र में ठोस कंचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगरपालिका परिषद/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य) **"शेड्यूल"** का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्व शेड्यूल;

(र) **"इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी"** का अर्थ है, नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कंचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कंचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) **"खाली प्लाट "** का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय –2
ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्कीकरण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(i) सभी कंचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस कंचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्कीकरण मुख्य रुप से निम्नांकित 3–वर्गो में किया जायेगाः–

(क) गैर–जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कंचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगरपालिका परिषद टिहरी के निर्देशों के अनुसार पृथ्क्कीकृत कंचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(ii) प्रत्येक बल्क कंचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस कंचरे को पृथक करें और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गो में:–

(क) गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कंचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कीकृत कंचरे को अधिकृत कंचरा संग्रहण एंजेसी के जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कंचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(iii) पृथक किए गये कंचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगाः–

हराः– जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीलाः– गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए;

कालाः– घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगरपालिका परिषद टिहरी की भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर कंचरे का पृथक्कीकरण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कंचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं। जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कंचरे को नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा निर्देशित कंचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबद समुदाय तथा संस्थान नगरपालिका परिषद टिहरी की भागीदारी के साथ सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कंचरे का स्त्रोत पर पृथक्कीकरण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग–अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूड़ा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें। जैव अपघटीय कंचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कंचरे को नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vi) सभी होटल और रेस्त्रां, नगरपालिका परिषद टिहरी की भागीदारी से कंचरे का स्त्रोत पर पृथक्कीकरण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कंचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामाग्री अधिकृत कंचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय कंचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा निर्देशित कंचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vii) कोई व्यक्ति गैर–लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगरपालिका परिषद टिहरी को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी अनिवार्य होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कंचरे को स्त्रोत पर अलग–अलग किया जाए, ताकि नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सकें।

(viii) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कंचरे को तत्सम्बन्धी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामाग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कंचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामाग्री, निपटान योग्य प्लेटे, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानों में संग्रहित करेगा और उसे नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को ही सौपेगा।

(x) उद्यान और बागवानी के कंचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कंचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगरपालिका परिषद टिहरी के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कंचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगरपालिका परिषद टिहरी या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कंचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय–समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कंचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कंचरा संग्रह केंद्र तक पहुचाया जाएगा।

(xii) निर्माण कार्यो और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कंचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्रित और निपटान किया जायेगा।

(xiii) बायो मेडिकल कचरा, ई–कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कंचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कंचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(xiv) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोडकर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कंचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हें ऐसे कंचरे को अलग से बंद कन्टेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्रित करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कंचरा वाहन/स्थल तक पहुंचाना होगा। ऐसे कंचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा।

(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कंचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निकाय के श्रमिक/वाहन/कंचरा एकत्रितकर्ता/कंचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कंचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गये कंचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय–समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय–3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:–

(i) नगरपालिका परिषद टिहरी के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कंचरे को घर–घर जाकर संग्रह करने के बारे में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कंचरा एकत्रित किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्रित करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(ii) कचरे को स्व–स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कंचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कंचरे को एकत्रित करने का प्रबन्ध किया जायेगा।

(iii) सब्जी फल, फूल, मॉस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कंचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्रित किया जाएगा।

(iv) बागवानी और उद्यान संबंधी कंचरा अलग से एकत्रित किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जायेगें।

(v) फलों और सब्जी, बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कंचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कंचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

(vi) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबाव के कारण अपरिहार्य हो तो कंचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(vii) कंचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कंचरे को नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कंचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात टिप्पर/ट्रक आदि वाहनों में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खड 4 व उप–खड (पअ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोडकर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कंचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(viii) कंचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कंचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे वाहन/ट्रक/टिप्पर आदि प्रयुक्त किए जायेगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगें और उनमें जैव अपघटीय और गैर–जैव अपघटीय कंचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(ix) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कंचरा संग्रह वाहन में कंचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(x) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कंचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और ये योजनायें तालिकाबद्व होगी जो नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारभिक बिन्दु, प्रारम करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगरपालिका परिषद टिहरी अथवा अधिसूचित अधिकृत कंचरा संग्रहकर्ता द्वारा मुख्य स्थलों पर एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचंरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी भविष्य में नगरपालिका परिषद टिहरी अथवा शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

(xi) ऐसी कालोनी/गलियॉ जहॉ टिप्पर/ट्रक या वाहन की सेवाएं संभव न हो तथा वहॉ पर 50 परिवार से अधिक परिवार निवासरत् हो, के लिए भाडा ढोनें वाले श्रमिको से कण्डियों के माध्यम से कूडा सड़क तक लाया जायेगा तथा कूडा का निस्तारण कूड़ा वाहनों में किया जायेगा।

(xii) अत्यंत भीड–भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां ट्रक/टिप्पर आदि वाहन भी न जा सकें वहां माडा ढोनें वाले श्रमिकों से कण्डियों के माध्यम से कूडा सड़क तक लाया जायेगा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जायेगे।

(xiii) ऐसी छोटी, तंग और भीड–भाड़ वाली गलियों/लेनों में जहॉ ट्रक/टिप्पर/रिक्सा आदि का सचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ती/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कंचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगरपालिका परिषद टिहरी अथवा शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xiv) ऑटो टिप्पर/ट्रक/रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कंचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कंचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(xv) नगरपालिका परिषद टिहरी या उसके अधिसूचित अधिकृत कंचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कंचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों जहॉ पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

अध्याय–4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का सग्रहण निम्नांनुसार किया जाएगा

(i) घरों में एकत्रित किया गया पृथक ठोस कंचरा, कंचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कंचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(ii) ऐसे द्वितीयक सग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नाकित के लिए अलग–अलग स्टोरेज होगे :–

(क) गैर–जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(iii) पृथक किए गए कंचरे के संग्रहण के लिए नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरों का इस्तेमाल निम्नांकित के अनुसार किया जायेगा :–

- **हरा : जैव अपघटीय कचरे के लिए**
- **नीला : गैर–जैव अपघटीय कचरे के लिए**
- **काला : घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए**

नगरपालिका परिषद टिहरी समय–समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कंचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कंचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कंचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(iv) नगरपालिका परिषद टिहरी स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कंचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आसपास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(v) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कटेनर नगरपालिका परिषद टिहरी या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप–नियमों में वर्णित नियमों के अनुसार अलग–अलग रंगो के होगें।

(vi) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रखकर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कंचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कंचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

(viii) सभी आवास सहकारी विभागों, समितियों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप–नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखे और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सकें।

(ix) नगरपालिका परिषद टिहरी या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें तथा आवश्यक कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव करें।

(x) सूखे कचरे (गैर–जैव उपघटीय कंचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगरपालिका परिषद टिहरी अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रिसाईक्लिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर–घर जाकर कंचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कंचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कंचरे की मात्रा के अनुसार रिसाईक्लिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर–घर जाकर कंचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कंचरा (गैर–जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रिसाईक्लिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कंचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रिसाईक्लिंग योग्य सूखा कंचरा इन रिसाईक्लिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और/या नगरपालिका परिषद टिहरी से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बेच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिसाईक्लिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कंचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रिसाईक्लिग योग्य कंचरे को ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रिसाईक्लिंग यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशि रखने का हकदार होंगे।

(गप) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कंचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कंचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कंचरे को प्राप्त किया जाऐगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कंचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगरपालिका परिषद टिहरी अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी कंचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कंचरा पृथक्कीकृत तरीके से एकत्रित करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कंचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कंचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय–5

ठोस कचरे की ढुलाई

7 ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:–

(i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलिभांति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कंचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है,जो निकाय द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(ii) नगरपालिका परिषद टिहरी अथवा अधिकृत एजेन्सी द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र में कंचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कीकृत जैव अपघटीय कंचरा प्रोसेसिग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो–मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा।

(iv) जहाँ कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कंचरे के लिए, ऐसे कंचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिग को वरीयता दी जाएगी।

(v) एकत्रित किया गया गैर–जैव अपघटीय कंचरा सम्बद्व प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुंचाया जाएगा।

(vi) निर्माण और विध्वंसजन्य कंचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।

(vii) नगरपालिका परिषद टिहरी कंचरे की समुचित ढंग से ढुलाई का प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कंचरा और नालियों से निकाली गई गाद कार्य समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(viii) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कंचरे के बार–बार परिचालन से बचा जा सकें।

(ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कंचरे को केवल एम.टी.एस. अथवा एफ.सी.टी.एस. जहाँ कहीं प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(x) यदि किसी कारणवश एम.टी.एस/एफ.सी.टी.एस. निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जायेंगे तो लदा वाहन एम.टी.एस. अथवा एफ.सी.टी.एस. के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कंचरे को उतारने के लिए नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(xi) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हुक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(xii) कंचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित कंचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए।

(xiv) कंचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(xv) इस सेवा में सलग्न एम.टी.एस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कंचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट टिप्परों/ट्रक या अन्य वाहनों/कूडादानों से कंचरा प्राप्त करेंगा।

(xvi) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कंचरा सग्रह करने में लगे टिप्परों/ट्रको आदि से कंचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एम.टी.एस तैनात किए जाएगें।

(xvii) एम.टी.एस और एफ.सी.टी.एस. का डिजाइन ऐसा होगा, जो कंचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर–उधर न फैले।

(xviii) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एम.टी.एस और एफ.सी.टी.एस. के इर्द गिर्द रिसे हुए कंचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चाहिए।

(xviv) नगरपालिका परिषद टिहरी अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सी.सी.टी. वी. कैमरे भी लगाये जाने की व्यवस्था कर सकती है।

अध्याय–8
ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :–

(i) नगरपालिका परिषद टिहरी ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अंजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकीयों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा :–

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो–मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कंचरे की जैव–स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्वति;

(ख) केन्द्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो–मिथेनेशन प्लांटो के जरिए,

(ग) कंचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कंचरा आधारित बिजली संयंत्रो को कंचरे के ज्वलनशील अश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(ii) नगरपालिका परिषद टिहरी रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आर.डी.एफ.) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(iii) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लाट में सीधे भस्मीकरण के लिए कंचरे का पूर्ण पृथक्कीकरण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्व अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

(iv) नगरपालिका परिषद टिहरी सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रिसाईक्लिंग योग्य पदार्थ रिसाईक्लिंग करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा–निर्देश:–

(i) नगरपालिका परिषद टिहरी सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों

और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कंचरे वाले अन्य कंचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कंचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(ii) नगरपालिका परिषद टिहरी यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कंचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(iii) नगरपालिका परिषद टिहरी यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कंचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाए।

(iv) नगरपालिका परिषद टिहरी कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कंचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता की स्थितियां बनाए रखना भी अनिवार्य होगी।

अध्याय–7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगरपालिका परिषद टिहरी अपशिष्ठ कंचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कंचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एस.डब्ल्यू.एम. नियमों के अतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंण्डफिल और सम्बद्ध ढॉचे का निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव करेगा।

अध्याय–8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमाल कर्ता शुल्कः–

(क) कंचरा उर्त्सजकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरे अनुसूची–1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कंचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगरपालिका परिषद टिहरी स्वंय अथवा अध्यक्ष/अधिशाशी अधिकारी द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगरपालिका परिषद टिहरी इन उपनियमो की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कंचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगरपालिका परिषद टिहरी ऑनलाईन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बजाय 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची–1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू–राजस्व के माध्यम से बकायादार की भाति वसूल की जायेगी।

12. एस.डब्ल्यू.एम. नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंड :–

(क) एस.डब्ल्यू.एम. नियमों अथवा इन उप–नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप–नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर–अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिएं जुर्माना प्रतिदिन या महिना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी, सफाई निरीक्षक, कर निरीक्षक, कर्मचारी एवं सब इन्स्पेक्टर थाना/चौकी प्रभारी होगें तथा जिला मजिस्ट्रेट या अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूची–2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वत: 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू–राजस्व के माध्यम से बकायादार की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय–9
प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्व :–

(i) कूडा फेकने पर पाबंदी

(क) **किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना** : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानों के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्राविधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, वर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) **किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना :** अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नहीं डालेगा।

(ग) **वाहनों से कूडा फेकना** : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फेकेगा।

(घ) **मालवाहक वाहन से गंदगी डालना :** कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) **स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी :** कुत्ता, बिल्ली/सुअर आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरों द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) **नालियों आदि में कंचरे का निपटान :** कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

(ii) कचरे को जलाना : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक सम्पत्ति पर ठोस कंचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषेद्व होगा।

(iii) "स्वच्छ क्षेत्र" प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा शामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पालिका परिषद टिहरी से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

(v) ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगरपालिका परिषद टिहरी द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्व अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधि में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं।

यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कंचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगरपालिका की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हें नगरपालिका परिषद टिहरी के सम्बद्व अधिशासी अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(vi) खाली प्लांट पर ठोस कंचरा डम्प करने और गैर–निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कंचरा डाले जाने की स्थितियों से नगरपालिका परिषद टिहरी निम्नाकित ढंग से निपटेगा :–

(क) नगरपालिका परिषद टिहरी किसी परिषद के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गये किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगरपालिका परिषद टिहरी निम्नांकित कार्यवाही कर सकती है :–

(vi) ऐसे परिसर मे प्रवेश कर कंचरे को साफ करना, और (ii) अधिभोगी से कंचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(vii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व

(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगरपालिका परिषद टिहरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैंड मालिकों को कचरा प्रबधन प्रणाली के लिए नगरपालिका परिषद टिहरी को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगरपालिका परिषद टिहरी इस प्राविधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्व विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैंड मालिको को, जो गैर–जैव अपघटीय पैकेजिंग सामाग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैंड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रिसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैंड मालिक या विपणन कपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14. <u>नगरपालिका परिषद टिहरी के दायित्व</u> :

(i) नगर पालिका परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित सग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पालिका परिषद अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी–निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यता हो।

(ii) नगर पालिका परिषद अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानों का रख रखाव करेगा।

(iii) नगर पालिका परिषद विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/स्वास्थ्य एंव सफाई निरीक्षक या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(v) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पालिका परिषद जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(vi) नगर पालिका परिषद अद्यतन सडक/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(vii) नगर पालिका परिषद सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमो के विभिन्न प्रावधानो के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(viii) नगर पालिका परिषद कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करे। नगर निगम विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो–मिथेनेशन, कम्पोस्टिग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्व वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा सपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

(ix) नगर पालिका परिषद स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही सभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्व तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

(x) नगर पालिका परिषद ठोस कचरा प्रबधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(xi) नगर पालिका परिषद यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(xii) नगर पालिका परिषद कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर निगम को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(xiv) नियमित जांच महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(xv) नगर पालिका परिषद अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(xvi) नगर पालिका परिषद एसडब्ल्यूएम नियमों और उप–नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्व कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(xvii) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका परिषद अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा।

(xviii) नगर निगम एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं।

अध्याय–10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगर निगम अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप–नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

अनुसूची–1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र सं	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये में)
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी पी एल कार्ड धारक)	कच्ची झोपडी रु 10 00, पक्का मकान रु0– 20.00
2.	कम आय वाले घर(बी पी एल कार्ड धारक के अतिरिक्त रु 5000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले घर)	रु 30.00
3.	मध्यम आय वाले घर (रु 5000.00 से अधिक रु 10000 00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	रु 50.00
4.	उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे घर/प्रतिष्ठान/व्यक्ति जहां से कूडा संग्रहकर्ता द्वारा कूडा एकत्रित किया जायेगा।	रु 200.00
5	उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे घर/प्रतिष्ठान/व्यक्ति जिनके द्वारा जैविक कूडे से कम्पोस्टिंग खाद तैयार की जायेगी।	पालिका के स्तर से निर्धारण किया जायेगा
6.	सब्जी एवं फल की दुकानें/ठेली	ठेली व फेरी में रु 100 प्रतिमाह, सब्जी एंव फल की दुकान पर रु 500 00 प्रतिमाह
7.	मांस एवं मछली विक्रेता	न्यूनतम 500 रु 10 कि0ग्रा0 तक, उससे अधिक पर रु 10 अतिरिक्त प्रति कि0ग्रा0 की बढोत्तरी पर प्रतिमाह
8.	रेस्टोरेन्ट	छोटे रु 500.00, मध्यम रु 600.00 तथा बडे रु 1500 00 प्रतिमाह
9.	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस	20 बेड तक रु 500.00, 21 बेड से 40 बेड तक रु 800.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु1500.00 प्रतिमाह
10	धर्मशाला	10 कमरे तक रु 400 प्रतिमाह,10 से उपर रु 600 प्रतिमाह
11.	बारातघर(चेरिटेबिल) बारातघर(नॉन–चेरिटेबिल)	रु 500.00 प्रति उत्सव रु 1200.00 प्रति उत्सव
12.	बेकरी	रु 500.00 प्रतिमाह

1	2	3
13.	कार्यालय	50 कर्मचारियों तक रु 300.00, 51 से 100 कर्मचारियों तक रु 600.00,101 से 300 कर्मचारियों तक रु 800.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से रु1000.00 उपरोक्त दर प्रतिमाह हेतु लागू
14.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(आवासीय)	100 बेड तक के लिए रु 1500.00,उससे अधिक रु 20.00 प्रति बेड अतिरिक्त प्रतिमाह
15.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(अनावासीय)	500 विद्यार्थियों तक रु1000.00,उससे अधिक रु1500.00 प्रतिमाह
16.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	20 बेड तक रु 1000, 21 बेड से 40 बेड तक रु2000.00 एवं 41 से 100 बेड तक रु 3000.00,उससे अधिक रु 20000.00 प्रतिमाह
17.	क्लीनिक/पैथोलोजी	क्लीनिक रु 300.00, पैथोलोजी रु 500.00 प्रतिमाह
18.	दुकान/चाय की दंकान	मौहल्ले की छोटी दुकान रु 50.00, बाजार की दुकान रु 100.00, शोरुम् रु 500.00, छोटे मॉल रु 1000.00,बहुमंजिला मॉल रु 2000.00, अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान रु 100.00 प्रतिमाह
19.	फैक्ट्री	छोटी रु 600.00, मध्यम रु 1000.00, बडी रु 1000.00 प्रतिमाह
20.	वर्कशॉप	छोटी रु 200.00, बडी रु 500.00 प्रतिमाह
21.	कबाडी	छोटी रु 300.00,बडी रु 500.00 प्रतिमाह
22	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	रु 300.00 प्रतिमाह अथवा 10 रू0 प्रतिदिन
23.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	प्रति उत्सव रु 1000.00 विवाह होटलों में, सर्कस/प्रदर्शनी रु 1000.00 प्रतिदिन, विवाह सडक/निजी/सार्वजनिक स्थल पर रु 1500.00 प्रति उत्सव
24.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50घन मी0 तक रु 200.00, 1.0घन मी0 तक रु 400.00, 3.0घन मी0 तक रु 1000.00, 6.0घन मी0 तक रु 2000.00,इससे अधिक प्रतिघन मी0 रु 200.00 अधिक
25.	सिनेमा हॉल	रु 500.00 प्रतिमाह
26.	वॉइन शॉप	रु 500.00 प्रतिमाह
27	जनरल स्टोर किराने की दुकान	रु 50.00 प्रतिमाह
28	एजेंसी/थोक विक्रेता	रु 100.00 प्रतिमाह

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान माग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची–2

जुर्माना/दंड

क्र सं	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में) प्रतिबार
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना	आवासीय	200.00
			बल्क जनरेटर	500.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	10,000.00

			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	5000.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर–आवासीय स्थान	500.00
			फिस,मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थक्करण तरीके से न रखना	1000.00
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	सडक/गली में 1.कूडा फैकना,थूकना 2.नहाना,पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना,गोबर नाली में बहाना	उलघनकर्ता	रू– 200.00 से 500.00 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी। रू– 500.00
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	200.00
			गैर–आवासीय/बल्क जनरेटर	500.00
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	1000.00
			गैर–आवासीय/बल्क जनरेटर	5000.00
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000.00
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	10,000.00
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थक्करण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200.00

7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500.00
निम्नांकित उल्लघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा				
8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन,आर.डब्ल्यू एम.	10,000.00
			बाजार एसोसिएशन,संघ	20,000.00
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबद समुदाय सस्थान	10,000.00 20,000.00
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	50,000.00
			रेस्टोरेंट	20,000 00
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कंचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी	1,00,000 00
12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कम्पनियां	50,000 00
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ड)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि	50,000.00
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लघनकर्ता/पर्यटक/वाहन/चालक	1000.00
15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर पालिका परिषद की उप विधि को होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लघनकर्ता/होटल / अतिथिग्रह स्वामी	1000.00
16		सार्वजनिक समाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस,मेले,राजनैतिक रैलिया,वाणिजिक,धार्मिक, सास्कृतिक कार्यकमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000 00

राजेन्द्र सिंह सजवांण,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद,
टिहरी।

श्रीमती सीमा कृषाली,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद,
टिहरी।

कार्यालय–नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

सार्वजनिक सूचना

08 जून, 2021 ई0

संख्याः– 141/फीकल स्लज उपविधि/2021–22–नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम- जौंक जनपद- पौड़ी सीमान्त उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–298 की उपधारा–2 खण्ड (ख) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक द्वारा "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2020" बनायी गयी है, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301 (1) के अंतर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु यह उपविधि दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला के अंक दिः- 26 दिसम्बर, 2020 में प्रकाशित कराई गयी थी। उक्त उपविधि पर किसी भी प्रकार की आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए। अतएव नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक की बोर्ड बैठक दिः–23–12–2020 पारित विशेष प्रस्ताव संख्या–01 द्वारा उपविधि सर्वसम्मति से स्वीकृत उपरान्त उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 (2) के अंतर्गत नगर पंचायत स्वर्गाश्रम-जौंक, जनपद-गढ़वाल द्वारा "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2020" को शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

यह उपविधि शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की विधि से प्रभावी होगी।

अध्याय-1

सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख

(1)- यह उप नियम नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय उपनियम-2020" कहलायेगा।

(2)- यह उप नियम नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक, जनपद-पौड़ी गढवाल (उत्तराखण्ड) के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2- यह उप नियम नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1- प्रसंगः

देश का विगत अनुभव दिखाता है कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है और परिवार और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है वह इस समय सोचनीय प्रबन्धन में है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गड्ढे, शौचालय, पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1- राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीतिः

इस पहलू को सम्बोधित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है "राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध नीति वर्ष-2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरूस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे, जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही साथ फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्ध, ताकि सार्वजनिक स्वाश्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया जाये।

1.2- उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकॉल।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश संख्या-10/2015 दिनांक 10-12-2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये हैं, जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं। उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकॉल तैयार किया जायेगा और राज्य द्वारा तथा समस्त एजेंसी द्वारा सूचित किया जायेगा। यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबन्ध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जाये और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक प्रभावी भागीदारी सम्बन्धित नगर निकाय की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में और जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975/नगर पालिका अधिनियम, 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा, उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टेज प्रबन्ध के लिये तैयार किया है, जो कि सचिव शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या-597/आई वी(2)-

श0वि0-2017-50 (सा0)/16 दिनांक 22-05-2017 राज्य का सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकॉल राज्य और शहरों को यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबन्ध बना रहे जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा-निर्देश इस प्रोटोकॉल के हैं कि राज्य और शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जा सकें कि वे आपने सेप्टेज प्रबन्ध का उच्चीकरण कर सके और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके। इस प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये और आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड), जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2- नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध का नियमितिकरण:

सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकॉल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या-597/ आई वी(2)- श0ष0वि0-2017-50 (सा0)/16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक, जनपद-पौड़ी गढवाल (उत्तराखण्ड) नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि सन्दर्भित है। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

3- उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र:

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत है:

1- निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गड्ढे परिवहन, इलाज और सुरक्षित रख-रखाव, जो कि स्लज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।

2- क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देषों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

3- उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।

4- लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज के और सेप्टेज प्रबन्ध के उचित प्रबन्ध हेतु है।

5- निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना।

4- एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना:

4.1- सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना:

सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको काटना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पहुंच गया है। या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है, जो काई भी पहले आवे।

जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।

सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकॉल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2- सेप्टेज/फीकल स्लज परिवहन:

1- फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय-समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

2- फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे कि:

अ- पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु इस्तेमाल किये जायेंगे फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु, जो कि छिद्र निरोधी होगा और फीकल स्लज और सेप्टेज के सुरक्षा हेतु ताला बन्द रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेंगे।

ब- कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3- सेप्टेज का निष्पादन और इलाज:

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक नगर का अपनी एक इकाई होगी। अगर पहले से 25 कि०मी० के अन्तर्गत स्थित है तो सेप्टेज को नजदीकी एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा, अन्यथा एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण किया जायेगा।

5- सुरक्षा उपाय:

1- उचित तकनीकी संयंत्र, सुरक्षा दिवार का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबन्धक प्रोटोकॉल 2017 में वर्णित है।

2- फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करें कि:

अ- समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफ्टी गेयर और यंत्र जिसके अन्तर्गत कंधे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोप्रीन लोपस, रबड़ बूट, चेहरे का मास्क और आँखों की सुरक्षा जैसा कि रोजगार का नियंत्रण जो कि मेनवल स्केवेंजर और उनके पुनर्वास नियम, 2013 में उल्लिखित है।

ब- समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।

स- समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

द- प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और आग बुझाने वाला मल निस्तरण गाड़ी में रखे जाते हैं। इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

य- धुम्पान जबकि सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धुम्पान वर्जित है।

र- मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-जाना रखेंगे जो कि इस कार्य को शुरु करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ल- बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाये, ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे।

कर्मचारी सावधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रक्रिया चल रही हो, जो कि ढक्कन पर अत्यधिक भार हेतु है या मेन हाल का आच्छादन छूटने से बचा रहे।

6- सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन:

6.1- नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा। निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र

प्रस्तुत करेगा, जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट अपशिष्ट-ए, 2 में संलग्न है।

6.2- कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टर व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकॉल में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ-	प्रारंभिक पंजीकरण	- रु० 5000
ब-	नवीनीकरण	- रु० 2000
स-	नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन	- रु० 1500

-अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार-

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ेंगी)

पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है निकाय के बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है उसमें अन्तर आ सकता है।

7- उपभोक्ता लागत और इसका संचय:

7.1- इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि निकाय में फीकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है, जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2- इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि निकाय कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3- निकाय अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय-समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अन्तर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4- उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।

अ- उपभोक्ता लागत को प्रत्यक्ष रूप से निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा या निकाय कोष में जमा किया जायेगा। उपभोक्ता लागत सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से वसूली की जायेगी।

ब- निकाय किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अन्तर्गत फीकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी, जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है। एक यादगार समझदारी निकाय और अधिकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहनकर्ता के बीच अनुबन्धित होगी, जो यह अधिकार देगा कि वह इसकी लागत वसूल करें और उसका भुगतान निकाय को करना होगा।

स- उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा, करना पड़ेगा।

सारणी-2: उपभोक्ता लागत:

क्र0 सं0	वर्ग	प्रति यात्रा लागत	विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एवं शोचालय गड्ढे के हेतु निर्धारित है	मासिक दंड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिए जो कि निर्धारित मल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1	टीनशैड वाला मकान	1000	2/3 जो भी पहले भरा जाये कम कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जब टैंक का 2/3 भाग पहले भाग पहले भरा हो	50
2	अन्य समस्त मकान	3500		100
3	दुकान	2500		125
4	समस्त सरकारी/निजी कार्यालय	2000		250
5	बैंक	3500		312
6	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	3000		500
7	रेस्टोरेन्ट	2000		500
8	होटल/गेस्ट हाउस 1-10 कमरें	3500		250
9	होटल अतिथि गृह 11-20 कमरे	4000		250
10	होटल अतिथि गृह 20 कमरें से ज्यादा	5000		500
11	धर्मशाला 1-25 कमरे	3500		625

12	धर्मशाला 15 कमरे से ज्यादा	5000		200
13	3 स्टार होटल	3500		400
14	5 स्टार होटल	5000		750
15	सरकारी स्कूल/कालेज	2000		1000
16	निजी स्कूल/ कालेज	2500		500
17	2 व्हीलर व्हीकल शोरूम	2000		625
18	4 व्हीलर वाहन शोरूम	2500		500
19	सिनेमा हाल	3500		625
20	होटल 0-20 कमरे	3500		1250
21	होटल 21 से 50 कमरे	4000		500
22	होटल 50 कमरे से अधिक	5000		550
23	विवाह हाल/बैंकेट हाल	3500		1100
24	बार	2500		625
25	सरकारी अस्पताल	4000		625
26	नर्सिंग होम/क्लीनिक	3000		500
27	पैथोलोजिकल लैब	3000		500
28	निजी अस्पताल 20 बिस्तर तक	3500		500
29	निजी अस्पताल 20 से 50 बिस्तर तक	4000		1250
30	निजी अस्पताल 50 विस्तर से अधिक	5000		1500

नोट:

1- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है और उनका निर्णय और स्वीकृत नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

2- मूल निस्तारण विशेष समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है (जैसा कि नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) द्वारा स्वीकृत है)।

3- उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढायी जायेगी।

8- मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना:

8.1- कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2- मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) में जमा होगी।

8.3- नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे।

8.4- अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलायी जायेगी, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का, एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज।

9- दंड:

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फीकल सलज का एकत्रीकरण न करना और सेप्टेज इलाज प्लांट का/आर0एन0एल0 का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।

सारणी-3 दंड:

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्ट्या पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत	2500	5000	3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण

2	सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में	1000	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण करने हेतु 3 माह के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	50000	
4	विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना	5000	10000	
5	जी0पी0एस0 जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना	5000	10000	

मोहन प्रसाद गौड,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक,
पौड़ी गढ़वाल।

माधव अग्रवाल,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक,
पौड़ी गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 41 हिन्दी गजट/411–भाग–8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।